दिनांक 25-5-2012

पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2012 के तहत कैम्प कोर्ट दूनी मे पेश हुई। पक्षकारान को लोक अदालत के जारी नोटिस बाद तामील कार्यवाही के प्राप्त हुये। वादी व प्रतिवादी पक्ष अनुप. दोनो पक्षो के अधिवक्तागणो ने कानुन के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने बाबत सहमति जाहिर की। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि वादी ने उक्त वाद पत्र के माध्यम से ग्राम मोरी स्थित खाते खसरा नंबर 284 रकबा 0-44 हैक्टर के अधिकार अभिलेख मे दर्ज खातेदार नारायण पुत्र रूपा को त्रुटिपूर्ण बताते हुये सही वल्दियत नारायण पुत्र तोला दर्ज करने तथा नारायण पुत्र तोला फौत होने से उसके वारिसान पुत्रो लखमाराम वादी तथा मोतीराम प्रतिवादी सं. (01) के नाम बहिस्सा बराबर की खातेदारी दर्ज किये जाने की मांग की है। इस संबध मे उपलब्ध नारायणलाल पुत्र भोलाजी

Scanned by CamScanner

मिसल संलग्न
के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मिसल संलग्न है।
संख्या 1232 से खसरा की प्रति मिसल
संलग्न मुताबिक देखा है, तथा [illegible]
होने पर [illegible] नामांतरण सं. 6।
[illegible] द्वारा नामांतरण [illegible]
की प्रति, ग्राम पंचायत [illegible] की
रिपोर्ट के अनुसार [illegible] के दो पुत्र [illegible] विवादित
व नारायण पुत्र। [illegible]
फौत होना तथा नारायण के दो पुत्र जाहिर
एकमाराम व मोतीराम होना [illegible]
है। वादी द्वारा की इसी [illegible] की
मौके की [illegible] के अनुसार की नारायण
की जानकारी के अनुसार मोतीराम होने
के दो पुत्र एकमाराम व मोतीराम है। अतः
की पुष्टि होती है। [illegible] किया जाता है। [illegible]
ख.नं. 1264 [illegible] को
[illegible] नारायण [illegible] पुत्र मोतीराम [illegible]
[illegible] नारायण पुत्र [illegible]
के [illegible] किये जाते हैं। तथा नारायण
फौत होने से वादी एकमाराम पुत्र नारायण
व प्रतिवादी मोतीराम पुत्र नारायण के
राज. की धारा 88 के तहत [illegible]
बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।
इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। रिकॉर्ड
में अमल दरामद हेतु तहसीलदार [illegible]
व पत्रावली [illegible]
मिसल [illegible] होकर [illegible]
कागजी।